Signature of Fairles or Pleaders where Decessa

8.7.17

परिवादी विद्युत विभाग द्वारा उपमहाप्रबंधक की ओर से 

अधिवक्ता श्री अक्तिण्यास्त्र भीवास्त्रव उपण ।

आरोपी / गण सहित / द्वारा अधि० श्री.....

उप0/आरोपी अन्परिधाति।

प्रकरण नेशनल / मेगा लोक अदालत में पेश हुआ है। यह परिवाद विद्युत विभाग द्वारा धारा 138(1)ख विद्युत अधिनियम के तहत आरोपीपक्ष के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है। इस परिवाद में आरोपी पक्ष पर धारा 138(1)ख विद्युत अधिनियम का आरोप लगाया गया है।

उक्त परिवाद मामले में विद्युत विभाग की ओर से उक्त कार्यपालन यंत्री की ओर से सहायक यंत्री / किनष्ठ यंत्री ने अपने अधिवक्ता सहित एक आवेदन पेश कर निवेदन किया कि इस मामले में आरोपी पक्ष के द्वारा विद्युत विल की बकाया राशि जमा मामले में आरोपी पक्ष के द्वारा विद्युत विल की बकाया राशि जमा की जा चुकी है। ऐसी स्थिति में लोकहित में परिवादी विद्युत विभाग यह परिवाद बढाना नहीं चाहता है, कार्यवाही समाप्त की जावे।

सुनाया गया। प्रकरण का अवलोकन किया गया। उक्त आवेदन के आलोक में इस नेशनल / मेगा लोकअदालत में परिवादी। विद्युत विभाग का उक्त आवेदन स्वीकार किया जाता है। उक्त आशेपी का अगर जमानती/गिरफतारी वारंट जारी हो तो उसे अदम बुलाने हेत् पत्र अविलंब जारी हो।

> प्रकरण में कोई जप्ताशुदा सम्पत्ति नहीं है। परिणाम पंजी में दर्ज कर प्रकरण अभिलेखएगर भेजा जावे।

> > पीटासीन अधिकारी खण्डली क0-18 एव विशेष न्यायाधीश विद्युत अधिनियमा गोहद, जिला भिण्ड